

15-10-2025 - पत्रावली पेभू हुई। वकील
वारी एवं वकील प्रतिवादी
तथा प्रसकार उपस्थित
हुए। प्रकरण में RAA उपपत्र
के निम्न में प्रसकारान से
18/8/25 को इस न्यायालय
में उपस्थित होने निर्दिष्ट
किया गया था। आज भी
इन्की ओर से कोई उपस्थित
नहीं हुआ। न्यायालय द्वारा
बार-बार आदेश लगाकर
बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं
हुआ। केवल प्रकरण अरु
दिली एवं अरु देखी के
कारण किन जाता ही पत्रावली
केवल शुभारंभ से ठगकर केवल
की जाती है।

500